प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

केन्द्र अधीक्षक / स्थायी पर्यवेक्षक,
सेमेस्टर परीक्षा–2016 हेतु निर्धारित,
परीक्षा केन्द्र।

पत्रांकः–प्राशिप / अनु04 / 2016 / 12691   लखनऊःदिनांक– 12.12.16

विषयः–प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सेमेस्टर परीक्षा–2016 दिनांक 28–12–2016 से 24–01–2017 के मध्य संपन्न होना निर्धारित है। परीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नामित केन्द्र अधीक्षक **(सूची–1)**, स्थायी पर्यवेक्षक एवं आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक **(सूची–2)** की सूची संलग्न है। उक्त परीक्षा के लिए परिषद द्वारा परीक्षा केन्द्रों की शुचिता एवं गरिमा बनाये रखने के लिए संबंधित केन्द्र अधीक्षक / स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक को परीक्षा के कियाकलापों की जानकारी होना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर की अध्यक्षता में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जोनवार कार्यशाला का आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया गया हैः–

कमांक	दिनांक	प्रशिक्षण स्थल	समय	जोन (क्षेत्र)
1.	14–12–2016	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 1.00 बजे	पूर्वी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित निजी क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक
			अपरान्ह 2.00 से अपरान्ह 4.30 बजे	पूर्वी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित राजकीय / अनुदानित क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक
2.	15–12–2016	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 1.00 बजे	मध्य क्षेत्र में स्थापित निजी क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक
			अपरान्ह 2.00 से अपरान्ह 4.30 बजे	मध्य क्षेत्र में स्थापित राजकीय / अनुदानित क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक
3.	17–12–2016	ए0के0टी0यू0 कैम्पस, नोएडा	पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 1.00 बजे	पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित निजी क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक
			अपरान्ह 2.00 से अपरान्ह 4.30 बजे	पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित राजकीय / अनुदानित क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षक

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यशाला में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण / कार्यशाला में भाग लेना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में परिषद द्वारा नामित केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक द्वारा ही भाग लेना अनिवार्य है, किसी अन्य कार्मिक को कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित न करें। कार्यशाला में उपस्थित न होने वाले केन्द्र अधीक्षक एवं स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक की सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु परीक्षा समिति एवं शासन के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0—प्राशिप / अनु04 / 2016 / 12692-94 **तद्दिनांक—** 12.12.16

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र को इस आशय से कि अपने स्तर से अपने क्षेत्रान्तर्गत संस्थाओं को सूचित करने का कष्ट करें।
3. संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य को इस अनुरोध के साथ कि अपनी संस्था के नामित स्थायी पर्यवेक्षक / आरक्षित स्थायी पर्यवेक्षक को उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समय से कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव